	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...-18	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अन्य राजकीय/प्रशासनिक कार्यों में / अधिवक्ता ... में व्यस्त हैं। पत्रावली अग्रिम आदेश दि० 12-9-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
...-9-18	वकील वादी उप.। पत्रावली पूर्वानुसार दि. 25-10-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
25/10/18	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अन्य राजकीय/प्रशासनिक कार्यों में / लोक ... 2019 में व्यस्त हैं। पत्रावली अग्रिम आदेश दि० 4-1-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
...10/18	~~पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अन्य राजकीय/प्रशासनिक कार्यों में / लोक ... 2019 में व्यस्त हैं। पत्रावली अग्रिम आदेश दि० 4-1-19 को पेश हो।~~	
04-1-19	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अन्य राजकीय/प्रशासनिक कार्यों में / लोक अधिनियम 2019 में व्यस्त हैं। पत्रावली अग्रिम आदेश दि० 22-1-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
22-1-19	वकील वादी उप.। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक की गयी। रसीद पेश की गयी। प्रतिवादीगण बाद तामील अनुपस्थित हैं। अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी एकतरफा दि. 26-2-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
26.2.19	वकील वादी उप.। वकील वादी साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं। साक्ष्य वादी बन्द की जाती है। वकील वादी की बहस एकतरफा सुनी गयी। वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली नियमानुसार होकर नम्बर से कम होकर तथा दफ्तर दाखिल हो। (हस्ताक्षर) उपजिलाधिकारी ...	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :–17/2016

निर्णय दिनांकः–26.02.2019

उनवान

1. लादूलाल पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी चैनपुरा तहसील निवाई जिला टोंक
2. नाथूलाल पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी चैनपुरा तहसील निवाई जिला टोंक

–वादीगण

बनाम

1. महेश गुप्ता पुत्र नामालूम हिण्डोन वाला निवासी प्रताप नगर सांगानेर जयपुर
2. मुकेश गुप्ता जरिये फर्म आदिनाथ प्रोपर्टी एण्ड कोलोनाईजर 51/89 सेक्टर–5 हाउसिंग बोर्ड ऑफिस के पीछे प्रताप नगर सांगानेर जयपुर
3. प्रेमचन्द पुत्र रामचन्द्र खटीक निवासी ककोड तह. उनियारा जिला सवाईमाधोपुर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक व्यादेश

उपस्थितः– श्री पुरूषोत्तम शर्मा वकील वादीगण

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि वादीगण की कृषि आराजी ख.नं. 2 रकबा 3–18 बीघा वाके ग्राम चैनपुरा में खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादीगण भूमाफिया लोग है। जो कि पास में स्थित ख.नं. 1/1 में कॉलोनी काटने के उद्धेश्य से वादीगण की भूमि में भी घुसकर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी पाबन्द किया जावे कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि आराजी ख.नं. 2 रकबा 3–18 बीघा वाके ग्राम चैनपुरा में बाधा मजाहमत नहीं करें।

दावा पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण बाद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील वादी की एकरतफा बहस सुनी गयी। बहस में प्रस्तुत वाद का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि वादीगण की कृषि आराजी ख.नं. 2 रकबा 3–18 बीघा वाके ग्राम चैनपुरा में खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादीगण भूमाफिया लोग है। जो कि पास में स्थित ख.नं. 1/1 में कॉलोनी काटने के उद्धेश्य से वादीगण की भूमि में भी घुसकर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी पाबन्द किया जावे कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि आराजी ख.नं. 2 रकबा 3–18 बीघा वाके ग्राम चैनपुरा में बाधा मजाहमत नहीं करें।

बहस का अवलोकन मनन कर न्यायालय वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि आराजी ख.नं. 2 रकबा 3–18 बीघा वाके ग्राम चैनपुरा में बाधा मजाहमत नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

26/2/19

हरिताभ कुमार आदित्य

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी निवाई

उपखण्ड अधिकारी निवाई

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

1. लादूलाल पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी चैनपुरा तहसील निवाई जिला टोंक
2. नाथूलाल पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी चैनपुरा तहसील निवाई जिला टोंक

—वादीगण

बनाम

1. महेश गुप्ता पुत्र नामालूम हिण्डोन वाला निवासी प्रताप नगर सांगानेर जयपुर
2. मुकेश गुप्ता जरिये फर्म आदिनाथ प्रोपर्टी एण्ड कोलोनाईजर 51/89 सेक्टर—5 हाउसिंग बोर्ड ऑफिस के पीछे प्रताप नगर सांगानेर जयपुर
3. प्रेमचन्द पुत्र रामचन्द्र खटीक निवासी ककोड तह. उनियारा जिला सवाईमाधोपुर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक व्यादेश

मुकदमा संख्याः—17/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री हरिताभ कुमार आदित्य आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री पुरूषोत्तम शर्मा वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि आराजी ख.नं. 2 रकबा 3—18 बीघा वाके ग्राम चैनपुरा में बाधा मजाहमत नहीं करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 02 सन् 2019 को जारी की गई।

26/2/19

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

उपखण्ड अधिकारी
निवाई

47D:\Rajsw\Court\Faisale\Faisale.docx375

Scanned by CamScanner